K.

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
(सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ)
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर

सूचना का अधिकार

क्रमांक /जी–908/2014/1–सूअप्र, नया रायपुर, दिनांक / /2014,

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, बिलासपुर, छ.ग.
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त कलेक्टर,
छत्तीसगढ़

विषय– सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन जानकारी/सूचना प्रदाय करने हेतु उक्त अधिनियम की धारा 7(3)(क) के संबंध में आवश्यक निर्देश।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 के अनुसार, सूचना अभिप्राप्त करने हेतु अनुरोध (आवेदन) प्राप्त होने पर, जन सूचना अधिकारी, धारा 7 की उप–धारा (1) के अनुसार, तीस दिवस के भीतर, विहित फीस के संदाय के लिए तथा धारा 7 की उप–धारा (3) के खण्ड (क) के अनुसार यथा अवधारित जानकारी/सूचना उपलब्ध कराने की लागत और फीस के ब्यौरे, जिसके साथ धारा 7 की उप–धारा (1) के अधीन विहित फीस के अनुसरण में रकम निकालने के लिए की गई संगणनायें होंगी, देते हुए, आवेदक से उक्त फीस को जमा करने हेतु अनुरोध करते हुए, संसूचना भेजेगा। उक्त संसूचना के प्रेषण और फीस के संदाय करने के बीच मध्यवर्ती अवधि को, उस धारा में निर्दिष्ट तीस दिवस की अवधि की संगणना करने के प्रयोजन के लिए अपवर्जित किया जायेगा।

2/– निर्देशित किया जाता है कि आवेदकों को समय–सीमा में जानकारी/सूचना उपलब्ध कराना, जन सूचना अधिकारी का दायित्व है, अतः जन सूचना अधिकारी द्वारा, अधिनियम की धारा 7 की उप–धारा (3) के खण्ड (क) के अनुसार, जानकारी/सूचना उपलब्ध कराने की लागत और फीस की रकम की संगणना कर, लागत और फीस के

ब्यौरे देते हुए, फीस जमा करने हेतु, तत्काल, आवेदक को सूचित किया जाए और आवेदक द्वारा फीस भुगतान किये जाने के उपरांत ही, वांछित अभिलेखों की छायाप्रति कराई जाये तद्पश्चात् आवेदक को प्रदान की जाए, ताकि निर्धारित तीस दिवस की समयावधि के बाद निःशुल्क जानकारी प्रदाय किए जाने से शासन पर पड़ने वाले अनावश्यक व्यय भार को रोका जा सके।

कृपया उपरोक्त निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाये ।

(कमर अली)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

क्रमांक 1513 /जी–908/2014/1–सूअप्र, नया रायपुर, दिनांक 21 /08/2014,

प्रतिलिपि–

1. राज्यपाल के प्रमुख सचिव, राजभवन, रायपुर छत्तीसगढ़,
2. रजिस्ट्रार, माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर, छत्तीसगढ़,
3. सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग, शंकर नगर, रायपुर,

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

Qamar Ali

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग